प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

व्यवहार पुनरीक्षण क्र. 23 / 2006

आवेदक/ : ताउकीर दानी

प्रत्यार्थी क्र. 1

बनाम

प्रत्यार्थीगण/ : चंदागी राम व अन्य

निर्वाचन याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु दिनांक 03 मई 2006

सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>व्यवहार पुनरीक्षण क्र. 23 / 2006</u>

आवेदक/ : ताउकीर दानी

प्रत्यार्थी क्र. 1

बनाम

प्रत्यार्थीगण/ : चंदागी राम व अन्य

निर्वाचन याचिकाकर्ता

आवेदक द्वारा श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता

प्रत्यार्थी क्र 1 से 4 द्वारा श्री आर. के. पाण्डेय, अधिवक्ता

प्रत्यार्थी क्र. 5 एवं 6 द्वारा श्री पी. के. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता

<u>आदेश</u>

(दिनांक 03.05.2006 को पारित)

<u>द्वारा न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा</u>

1. आवेदक द्वारा यह व्यवहार पुनरीक्षण धारा 26(2) छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतद्पश्चात् "अधिनियम 1961" से संबोधित किया जाएगा) सह-पठित नियम 19 छत्तीसगढ़

नगरपालिका (निर्वाचन याचिका) नियम, 1962 के अंतर्गत निर्वाचन याचिका क्र. 19/05 में विद्वान जिला न्यायाधीश, रायपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2006 के विरुद्ध दायर की गई है जिसके तहत प्रत्यार्थी क्र. 1 के निर्वाचन याचिका को निरस्त करने हेतु आवेदक द्वारा पेश आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को निरस्त कर दिया गया है।

2. वर्तमान व्यवहार पुनरीक्षण में न्याय निर्णयन हेतु संक्षिप्त प्रश्न यह है कि- क्या निर्वाचन अधिकरण निर्वाचन याचिकाकर्ता को परिसीमा अधिनियम की धारा 14 का लाभ देते हुए निर्वाचन याचिका को पेश करने में हुए विलंब का माफ कर सकता है।

3. इस पुनरीक्षण के निराकरण हेतु आवश्यक तथ्य यह है कि आवेदक ताउकीर दानी को बसना नगरपालिका (नगर पंचायत, बसना) का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था तथा उनके चुनाव को आधिकारिक राजपत्र दिनांक 26.12.2004 को विधिवत अधिसूचित किया गया था। प्रत्यार्थी क्र. 1 चंदागी राम ने विद्वान प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, महासमुंद के समक्ष 1961 के अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निर्वाचन याचिका पेश किया। हालांकि, विद्वान प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने निर्वाचन याचिका को उपयुक्त न्यायालय में पेश करने के लिए उक्त निर्वाचन याचिका को दिनांक 16.11.2005 को प्रत्यार्थी क्र. 1 को वापिस कर दिया। तत्पश्चात, दिनांक 18.11.2005 को जिला न्यायाधीश के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता सह-पठित धारा 20(3), अधिनियम, 1961 (परिशिष्ट ए-6) इस आशय का पेश किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि प्रथम दृष्टया चुनाव याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि निर्वाचन याचिका को 1961 के अधिनियम की धारा 20 (3), में उल्लेखित परिसीमा अवधि के पश्चात पेश किया गया है तथा अधिकरण उक्त निर्वाचन याचिका को पेश करने में हुए विलंब को क्षमा करने के लिए सक्षम नहीं है। हालांकि, आवेदक द्वारा पेश आवेदन पत्र को विद्वान निर्वाचन अधिकरण के आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया कि परिसीमा अधिनियम के प्रावधान 1961 के अधिनियम के अधीन दायर निर्वाचन याचिका के प्रकरण में लागू नहीं होते क्योंकि, नगरपालिका अधिनियम और उसके अंतर्गत विरचित नियम एक सम्पूर्ण और स्व-निहित संहिता है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की तरह भारतीय परिसीमा अधिनियम में निहित सिद्धांतों या विधिक प्रावधानों को शामिल करने की अनुमति नहीं देता।

5. अधिनियम 1961 की धारा 20 के संदर्भ में यह तर्क किया गया कि निर्वाचन याचिकाएं दृढ़तापूर्वक अधिनियम 1961 के धारा 20 के अनुसार ही अधिनियम के धारा 22 में उल्लेखित आधारों पर दायर किए जाने हैं तथा ऐसे दायर निर्वाचन याचिका की जांच एवं निराकरण अधिनियम के धारा 23 के प्रक्रिया और अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम के अनुसार किया जाना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के **ए.आई.आर 1969 एससी 872** में संप्रकाशित निर्णय **के. वेंकटेश्वर राव व अन्य विरुद्ध वी. बेककम नरसिम्हा रेड्डी व अन्य**, **1987 (II) एम. पी. डब्लू. एन. नोट 158** में संप्रकाशित **कमर लाल विरुद्ध गोरे लाल** तथा **1998 (I) एम.पी. डब्लू.एन. नोट 83** में संप्रकाशित **किशन सिंह विरुद्ध हरवीर सिंह** के निर्णय का अवलंब लेते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि परिसीमा अधिनियम के प्रावधान निर्वाचन याचिका पर लागू नहीं होते हैं।

7. आगे **1997 (1) जे.एल.जे. 433** में संप्रकाशित **अशोक बर्मन विरुद्ध श्रीमती साधना जैन व अन्य** के निर्णय का अवलंब लेते हुए यह तर्क किया गया कि अधिनियम 1961 की धारा 20 आज्ञापक है।

8. निर्वाचन याचिका नियम 1962 के नियम 5 एवं 11 के संदर्भ में यह तर्क किया गया कि निर्वाचन याचिका न्यायाधीश द्वारा अनुपालन प्रक्रिया तथा उक्त उदेश्य हेतु न्यायाधीश के शक्तियों को विस्तृत रूप से निर्धारित किए गए हैं इसलिए यह तर्क किया गया कि परिसीमा अधिनियम के धारा 14 के आधार पर निर्वाचन याचिका को दायर करने में हुए विलंब को माफ कर निर्वाचन अधिकरण ने

नगरपालिका अधिनियम और अधिनियम के अंतर्गत बनाए निर्वाचन याचिका नियम में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य किया है।

9. इसके विपरीत, प्रत्यार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आलोच्य आदेश के संदर्भ में यह तर्क किया कि निर्वाचन याचिका की सुनवाई के दौरान जिला न्यायाधीश का न्यायालय जो नामित प्राधिकारी होता है, एक न्यायालय की तरह कार्य करता है, इसलिए परिसीमा अधिनियम के प्रावधान भी लागू होते हैं। आगे यह तर्क किया गया कि प्रत्यार्थी क्र. 1 (निर्वाचन याचिका में याचिककर्ता) ने सद्भावनापूर्वक प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, महासमुंद के समक्ष समय-सीमा के अंदर दिनांक 24.01.2005 को निर्वाचन याचिका पेश किया था। उसकी याचिका का संज्ञान लेते हुए प्रत्यार्थीगण को नोटिस जारी किया गया था। प्रत्यार्थीगण ने याचिका के पोषणीय होने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की और प्रकरण में काफी समय तक भाग लिया और अपना जवाब भी पेश किया तथा आवेदक ने प्रकरण के अंतिम चरण में याचिका के पोषणीय होने के संबंध में आपत्ति उठाया जिसके आपत्ति पर निर्वाचन याचिका को उपयुक्त प्राधिकार के समक्ष पेश करने हेतु लौटा दिया गया। उपरोक्त परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि प्रत्यार्थीगण सद्भावनापूर्वक अधिकरण के समक्ष निर्वाचन याचिका का विचारण चला रहे थे और इसलिए प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार चुनाव याचिका में विचारण चलाने में व्यतीत समय को उचित रूप से माफ किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. **<u>2000(1) मनीषा 20</u>** में संप्रकाशित उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित **<u>पी. सारथी विरुद्ध स्टेट बैंक आफ इंडिया</u>** के निर्णय तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **<u>मध्य प्रदेश स्टेट को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरैशन, भोपाल विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया</u>** में पारित निर्णय पर अवलंब लेते हुए प्रत्यार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि परिसीमा अधिनियम की धारा 14 में सिर्फ "व्यवहार न्यायालय" का उल्लेख नहीं हैं बल्कि सिर्फ "न्यायालय" का उल्लेख है, इसलिए एक न्यायालय का

अधिकार रखने वाला कोई भी प्राधिकार या अधिकरण परिसीमा अधिनियम के धारा 14 के अर्थ के अंतर्गत एक "न्यायालय" होगा जिसमें नगरपालिका अधिनियम के तहत नामित चुनाव न्यायाधिकरण भी शामिल है।

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

12. संबंधित पक्षकारों द्वारा किए गए तर्क पर विवेचना करने से पहले इस व्यवहार पुनरीक्षण में शामिल विवाद के प्रयोजनों के लिए नगरपालिका अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों का संदर्भ लेना उचित होगा।

13. नगरपालिका अधिनियम के अध्याय 2 में नगरपालिका के गठन का प्रावधान है। अध्याय 2 में धारा 20 निर्वाचन याचिका के बारे में है जबकि धारा 22 में निर्वाचन या (नामनिर्देशन) को शून्य घोषित करने के आधार दिए गए हैं और धारा 23 में निर्वाचन याचिका के निराकरण के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया दी गई है। निर्वाचन याचिका नियम 1962 को अधिनियम 1961 के धारा 23 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। अधिनियम 1961 की धारा 24 में निर्वाचन याचिका के विचारण के अंतिम स्तर पर दिए जाने वाले आदेश से संबंधित है। अधिनियम की धारा 26(1) याचिका पर न्यायाधीश के निर्णय को अंतिमता प्रदान करती है जबकि धारा 26(2) उन आधारों का प्रावधान करती है जिन पर निर्वाचन अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत वैधानिक नियम - नगरपालिका निर्वाचन याचिका नियम 1962 भी बनाए गए हैं। नियम 5 चुनाव कार्यवाही में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करता है तथा नियम 11 ऐसी याचिकाओं का विवेचना करने वाले न्यायाधीश की शक्तियों को निर्धारित करता है। नियम 12 नियमों के प्रावधानों के अधीन भारतीय साक्ष्य अधिनियम

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के अनुप्रयोग का प्रावधान करता है तथा नियम 19 न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण का प्रावधान करता है।

14. अतः उपर्युक्त धाराओं के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए वैधानिक नियमों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नगरपालिका अधिनियम 1961 एक संपूर्ण और स्व-निहित संहिता है। आवेदक द्वारा संदर्भित सुसंगत प्रावधानों को नीचे पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है;

नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धराएं

20. निर्वाचन अर्जी - (1) इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन [3][या नामनिर्देशन] को इस धारा के उपबंधों के अनुसार अर्जी प्रस्तुत करके ही प्रश्नगत किया जाएगा अन्यथा नहीं।

(2) ऐसी अर्जी धारा 22 में विनिर्दिष्ट आधारों में से एक या अधिक आधार पर -

(क) ऐसे निर्वाचन [4][या नामनिर्देशन] में किसी अभ्यर्थी द्वारा या;

(ख) (i) x x x x x x x x

(ii) x x x x x x x x

(iii) x x x x x x x x

उस दशा में जबकि ऐसा निर्वाचन [2][या नामनिर्देशन] उस राजस्व जिले में, जिसमें जिला न्यायाधीश का न्यायालय स्थित है, जिला न्यायाधीश को, और किसी अन्य दशा में, उस अपर जिला न्यायाधीश को जिसके न्यायालय का स्थायी स्थान उस राजस्व जिले में, जिसमें ऐसा निर्वाचन या नामनिर्देशन किया गया है, स्थित है, प्रस्तुत की जा सकती है और यदि उक्त राजस्व जिले में एक से अधिक ऐसे अपर जिला न्यायाधीश हैं, तो उनमें से उस अपर जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की जा सकती है जिसे जिला न्यायाधीश इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करे (इसमें इसके पश्चात् ऐसे जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश, न्यायाधीश के नाम से निर्दिष्ट है)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई कोई भी अर्जी तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक –

(i) वह उस तारीख से, जिसको ऐसे निर्वाचन [3][या नामनिर्देशन] का परिणाम राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, तीस दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाता है; और

(ii) x x x x x x x x x

<u>नगरपालिका (निर्वाचन याचिका) नियम 1962 के नियम</u>

5. प्रक्रिया- इस अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न्यायाधीश द्वारा प्रत्येक निर्वाचन याचिका की जाँच यथाशक्य व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वादों के परीक्षण पर लागू होने वाली प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी:

परन्तु न्यायाधीश के लिए केवल इतना ही आवश्यक होगा कि वह उसके द्वारा परीक्षित किसी साक्षी को साक्ष्य के सार का ज्ञापन तैयार करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. न्यायाधीश की शक्तियाँ- ऐसी याचिकाओं की जाँच करने के प्रयोजन के लिये, निम्नलिखित बातों के संबंध में न्यायाधीश को वे ही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद के परीक्षण के संबंध में न्यायालय में निहित होती है:-

(क) प्रकटीकरण तथा निरीक्षण;

(ख) साक्षियों की उपस्थिति वर्जित करना और उनके खर्चों का निक्षेप अपेक्षित करना,

(ग) दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए विवश करना,

(घ) शपथ पत्र पर साक्षियों का परीक्षण करना,

(ङ) स्थगन स्वीकृत करना,

(च) शपथ पत्र पर लिया गया साक्ष्य स्वीकार करना, और

(छ) साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना;

और वह स्वप्रेरणा से किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका साक्ष्य उसे सारवान् प्रतीत हो, बुला सकेगा तथा उसका परीक्षण कर सकेगा और उसे "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 480 एवं 482 के अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय समझा जायेगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. धारा 20 की उपधारा 1, उपधारा 2 और उपधारा 3 के संयुक्त वाचन से यह दर्शित होता है कि निर्वाचन याचिका इस धारा के प्रावधानों के अनुसार ही प्रस्तुत की जानी है, जिसमें यह प्रावधान है कि ऐसे चुनाव में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा याचिका उस राजस्व जिले के जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जानी है जहां निर्वाचन किया गया, और किसी अन्य दशा में, उस अपर जिला न्यायाधीश को जिसके न्यायालय का स्थायी स्थान उस राजस्व जिले में जिसमें ऐसा निर्वाचन किया गया है स्थित है के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है और यदि उक्त राजस्व जिले में एक से अधिक ऐसे अपर जिला न्यायाधीश हैं, तो उनमें से उस अपर जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की जा सकती है जिसे जिला न्यायाधीश इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करे।

16. वर्तमान प्रकरण में स्वीकृत रूप से, महासमुंद एक अलग राजस्व जिला है, जिसमें दो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पदस्थ हैं और उनके न्यायालयों की स्थायी न्यायालय महासमुंद में हैं और उनमें से किसी को भी जिला न्यायाधीश द्वारा अधिनियम के तहत न्यायाधीश के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया था। प्रत्यार्थी द्वारा प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, महासमुंद के न्यायालय में निर्वाचन याचिका दायर

की गई थी, तथापि प्रत्यार्थीगण द्वारा आपत्ति किए जाने पर प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने प्रत्यार्थीगण द्वारा प्रस्तुत याचिका को 16.11.2005 को उपयुक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया था जिसे 18.11.2005 को जिला न्यायाधीश, रायपुर के समक्ष परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया था।

17. अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 3 के अनुसार यह अनिवार्य है कि अधिकरण द्वारा उपधारा 2 के अंतर्गत कोई याचिका तब ही स्वीकार नहीं की जाएगी जब वह निर्वाचन का परिणाम राजपत्र में अधिसूचित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो। अतः धारा 20 की उपधारा 2 के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार, निर्वाचन याचिकाकर्ता प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, महासमुंद के न्यायालय में चुनाव याचिका दायर नहीं कर सकता था, क्योंकि उक्त न्यायालय को जिला न्यायाधीश, रायपुर द्वारा अधिनियम के तहत निर्वाचन याचिका की सुनवाई के लिए न्यायाधीश के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया था और विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, महासमुंद ने अधिकार क्षेत्र के अभाव में याचिका को उचित रूप से वापस कर दिया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. अगला प्रश्न यह है कि क्या जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रत्यर्थी क्र. 1 द्वारा अपने निर्वाचन याचिका में सद्भावनापूर्वक विचारण चलाने में व्यतीत किए गए समय को जिला न्यायाधीश द्वारा माफ करना न्यायोचित था?

19. उपर्युक्त प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष कई बार विचारार्थ उत्पन्न हुआ है। उच्चतम न्यायालय द्वारा के. वेंकटेश्वर राव (पूर्वोक्त) मामले में पारित निर्णय के कंडिका 14 नीचे पुन: उद्धृत किया जा रहा है;

> 14. यह सर्वविदित है कि सिविल कार्यवाही में याचिका में संशोधन और ऐसी कार्यवाही में पक्षकारों को जोड़ना सामान्यतः परिसीमा विधि के अधीन संभव है। लेकिन निर्वाचन याचिका इससे भिन्न होती है। ऐसी याचिका पर विचारण तथा उसके संबंध में न्यायालय की शक्तियां अधिनियम द्वारा परिसीमित हैं। भारतीय परिसीमा

अधिनियम, 1963 वाद और अन्य कार्यवाहियों की परिसीमा विधि को समेकित और संशोधित करने तथा उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए एक अधिनियम है। इस अधिनियम के प्रावधान न्यायालय में होने वाले सभी व्यवहार कार्यवाहियों और कुछ विशेष दांडिक कार्यवाहियों पर लागू होंगे, जब तक कि उसे किसी अधिनियम द्वारा अपवर्जित न किया गया हो; जिसकी लागू होने की सीमा परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) द्वारा शासित होती है। तथापि, हमारी राय में, परिसीमा अधिनियम, निर्वाचन याचिका जैसी कार्यवाहियों पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एक संपूर्ण और स्व-निहित संहिता है, जो भारतीय परिसीमा अधिनियम में निहित सिद्धांतों या विधि के प्रावधानों को लागू करने की अनुमति नहीं देता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. उच्चतम न्यायालय ने **<u>एआईआर 1994 एस.सी. 512</u>** में संप्रकाशित **<u>अनवरी बसवराज पाटिल व अन्य विरुद्ध सिद्धारामैया व अन्य</u>** के मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 97 के तहत प्रत्यारोप नोटिस पर विचार करते हुए, जो परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र के साथ विचारण शुरू होने के 14 दिनों की अवधि के बाद दायर किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 निर्वाचन याचिका दायर करने पर लागू नहीं होती है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णयों के परिपेक्ष में तथा भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) से निपटते हुए यह माना गया है कि "इन प्रावधानों की प्रयोज्यता का आकलन, इसलिए, परिसीमा अधिनियम की शर्तों से नहीं, बल्कि निर्वाचन याचिकाओं के दायर करने तथा उनके विचारण से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह अपने आप में एक संपूर्ण संहिता है, जो अधिनियम की धारा 29(2) में उल्लिखित परिसीमा अधिनियम के किसी भी प्रावधान को लागू करने कि अनुमति नहीं देती।"

21. कमर लाल (पूर्वोक्त) के मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अधिनियम 1961 की धारा 20 की उपधारा 3(i) पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम के तहत 30 दिनों के बाद प्रस्तुत निर्वाचन याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि धारा 20 की उपधारा 3 के खंड 1 में 30 दिनों के बाद प्रस्तुत निर्वाचन याचिकाओं को स्वीकार करने और उनपर विचारण करने के विरुद्ध विशिष्ट प्रतिबंध है तथा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान विलंब के क्षमा के लिए लागू नहीं होते हैं।

22. 1998 (1) एमपीडब्ल्यूएन 83 में संप्रकाशित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विवादों को विधि के अधीन प्रदान किए गए फोरम के अलावा अन्य फोरम के द्वारा सुनवाई पर संवैधानिक प्रतिबंध है तथा अधिनियम 1993 और उसके अधीन बनाए गए संविधि में निहित प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुरूप हैं। निर्वाचन याचिकाकर्ता की रिट याचिका भी खारिज कर दिया गया, जिसकी निर्वाचन याचिका को अधिकरण ने परिसीमा द्वारा वर्जित कानून द्वारा खारिज कर दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. **(1999) 8 एससीसी 532** में संप्रकाशित **लक्ष्मण दास अरोड़ा बनाम गणेशी लाल एवं अन्य** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कंडिका-7 में अभिनिर्धारित किया है कि "परिसीमा अधिनियम के तहत निर्वाचन याचिका दायर करने की कोई अवधि वर्णित नहीं है। जहां तक यह अधिनियम निर्वाचन विवादों के प्रस्तुतीकरण और विचारण से संबंधित है, यह एक संपूर्ण संहिता और एक विशेष विधि है। विशेष विधि की योजना से दर्शित होता है कि भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यदि निर्वाचन याचिका *पैंतालीस दिनों* की निर्धारित अवधि के भीतर दायर नहीं की जाती है, तो अधिनियम की धारा 86(1) जो यह प्रावधानित करती है कि उच्च न्यायालय ऐसी निर्वाचन याचिका को खारिज *करेगा* जो धारा 81 या धारा 82 या धारा 117 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती है, सीधे लागू होती है।”

24. वर्तमान प्रकरण में भी, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, धारा 20 की उपधारा 1, उपधारा 2 और उपधारा 3 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि उपधारा 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कोई भी याचिका तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह उस तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न की जाए, जिस तारीख को ऐसे निर्वाचन का परिणाम राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो। विशेष अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए पहले ही माना जा चुका है कि अधिनियम एक संपूर्ण संहिता है, जहां तक कि चुनाव विवाद कि प्रस्तुति एवं विचरण से संबंधित है, भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 4 से धारा 24 अधिनियम के तहत निर्वाचन याचिका के मामलों में लागू नहीं होते है और अधिकरण के लिए यह अनिवार्य है कि वह परिसीमा अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि अर्थात 30 दिनों से परे प्रस्तुत किसी भी निर्वाचन याचिका को खारिज कर दे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

25. जहां तक उच्चतम न्यायालय द्वारा पी. सारथी (पूर्वोक्त) में पारित निर्णय जिस पर विद्वान अधिकरण ने अवलंब लिया है की बात है, उस मामले में विवाद यह था कि याचिकाकर्ता को बैंक द्वारा सेवा से हटा दिया गया था। उन्होंने बैंक के स्थानीय बोर्ड के समक्ष अपील दायर की जिसे खारिज कर दिया गया तथा उन्होंने तमिलनाडु दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत एक और अपील की जिसे भी श्रम उप आयुक्त (अपील) ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के प्रावधान राष्ट्रीयकृत बैंक पर लागू नहीं होते हैं। तत्पश्चात याचिकाकर्ता ने एक घोषणात्मक वाद दायर किया जिसे विचारण न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि वाद परिसीमा कानून द्वारा वर्जित अवधि है। हालाँकि, विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया और उसकी सेवा से बर्खास्तगी को दोषपूर्ण पाया गया। प्रत्यार्थी/बैंक ने द्वितीय अपील दायर की जिसे मद्रास उच्च न्यायालय स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता के प्रकरण को परिसीमा कानून द्वारा अवधि बाधित होने अभिनिर्धारित किया गया था, तथा उपरोक्त परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जिसे इस निष्कर्ष के साथ स्वीकार किया गया कि श्रम

उप आयुक्त (अपील) का न्यायालय अपीलों की सुनवाई और निर्णय करने के लिए सक्षम अधिकरण है और इस प्रकार परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के अर्थ में एक न्यायालय है और इसलिए, याचिकाकर्ता विभागीय अपील और श्रम आयुक्त के समक्ष विभागीय अपील के अभियोजन में उसके द्वारा व्यतीत की गई अवधि से छूट का हकदार है और अपील श्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। हालांकि, वर्तमान प्रकरण में विवाद नगरपालिका अधिनियम के तहत निर्वाचन याचिका से संबंधित है जो निर्वाचन विवादों की प्रस्तुति और विचारण के संबंध में एक संपूर्ण संहिता है, और इसलिए, भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 के प्रावधान वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते हैं, जैसा कि लखमा अरोड़ा के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. उपर्युक्त विवेचना के आलोक में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि निर्वाचन अधिकरण ने निर्वाचन याचिका दायर करने में विलंब को माफ करते हुए परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत लाभ प्रदान करके अधिनियम 1961 के तहत उसमें निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया है।

27. परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है, अधिकरण द्वारा पारित आलोच्य आदेश जिसके अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को खारिज किया गया है, अवैध है और तदनुसार आलोच्य आदेश को अपास्त किया जाता है।

सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Smriti Ekka

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur